FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

न्यायालय..

बाबू देवी v/s सांवरलाल .... बनाम ....

प्रकरण की किस्म...... रा. वाद 261/17 ....

प्रकरण की संख्या.. वर्ष........

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
	अत: ~~साक्ष्य~~ तनकियात की आवश्यकता नहीं है एवं साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं है। अत: पत्रावली अंतिम बहस एवं नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी इत्यादि) प्रस्तुत करने हेतु 24/6/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
24/6/20	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता कोरोना / लॉकडाउन पीठासीन अधिकारी मीटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6/7/20 को प्रस्तुत करें।	
06/7/20	वकलाय उभय बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वादिनी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर नाफिज किया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली अपने नम्बर से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 261/2017

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाउ देवी पत्नी स्व. हरीराम जाट निवासी डिडिया कलां, जायल		1. भंवरलाल पुत्र हरीराम जाट निवासी डिडिया कलां, जायल 2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से श्री जीयाराम चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित
प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06/7/2020

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डिडियाकलां तहसील जायल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 15 बीघा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 484/897 रकबा 7 बीघा , खसरा नम्बर 485 रकबा 3 बीघा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 486/898 रकबा 3 बीघा , खसरा नम्बर 487 रकबा 5 बीघा 04 विस्वा, खसरा नम्बर 488 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 489 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा आई हुई है, जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में खातेदार भंवरलाल पुत्र हरीराम कौम जाट निवासी डिडिया कलां के नाम दर्ज है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह वर्णित है कि मेरे पति के स्वर्गवास के पश्चात् हमारी पुश्तैनी खेताय में मेरा नामान्तकरण नहीं भरा गया है तथा सम्पूर्ण खेताय मेरे पुत्र भंवरलाल पुत्र हरीराम के नाम दर्ज कर दिया गया है। उक्त मौखिक बंटवाड़ा वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मे मध्य सम्वत् 2070 की आखातीज को वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार हुआ है वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत् बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है। वादग्रस्त भूमि में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा शपथ पेश कर अपने हक व हिस्से की वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा व नक्शे में तरमीम करवाने के लिये यह वाद वावत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम डिडिया कलां तहसील जायल की सरहद में स्थित भूमि में से खसरा नम्बर 169 रकबा 15 बीघा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 484/897 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 485 रकबा 3 बीघा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 486/898 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 487 रकबा 5 बीघा 04 विस्वा, खसरा नम्बर 488 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा, खसरा नम्बर 489 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 40 बीघा 18 विस्वा में से वादीनी बाउ देवी के खेत खसरा नंबर 169 रकबा 15 बीघा 2 विस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल के शेष खेताय की भूमि का जरिये मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे।

06/7/2020

Scanned with CamScanner

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल एवं अदम तामिल अप्राप्त है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से राजीनामा शपथ पत्र पेश किया गया जिनको पत्रावली में शामिल मिसल किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से राजपेरोकार स्वंय उपस्थित हुए। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर जमाबन्दी संवत् 2069 से 2071 एवं राजीनामे के शपथ पत्र आदि पेश किये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीनी के वादपत्र, जमाबन्दी, राजीनामा शपथ पत्र व प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से प्रस्तुत राजीनामा शपथ पत्र पर मनन किया गया, वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है एवं राजपैरोकोर परफोर्मर पक्षकारहै। राजीनामा फलतः वादीनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादिनी का वाद स्वीकार किया जाता है। चूंकि राजीनामें में बंटवारा खसरा नं. 169 वादीनी के हिस्से में एवं शेष खसरे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से रखे गये है। मुतदाविया खेताय की भूमि पृथक एवं अलग स्थान पर होने के कारण प्राथमिक डिक्री किये जाने का औचित्य नहीं रहता है। अतः वादीनी का वाद निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

1. ग्राम डिडियाकलां तहसील जायल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 169 2.4443 हैक्टेयर वादीनी बाउदेवी के हक हिस्से एवं खातेदारी में घोषित किया जाता है।

2. ग्राम डिडियाकलां तहसील जायल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 484/897 रकबा 1.1331 हैक्टयेर , खसरा नम्बर 485 रकबा 0.5342 हैक्टयेर, खसरा नम्बर 486/898 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.8417 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, एवं खसरा नं. 489 रकबा 0.6313 हैक्टयेर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक हिस्से एवं खातेदारी में घोषित किया जाता है।

माफिक आदेश अन्तिम डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 06/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1.	बाउ देवी पत्नी स्व. हरीराम जाट		1.	भंवरलाल पुत्र हरीराम जाट
	निवासी डिडिया कलां, जायल			निवासी डिडिया कलां, जायल
			2.	सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट
राजस्व वाद संख्या :– 261/2017

निर्णय दिनांक :– 06/07/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जीयाराम चौधरी अधिवक्ता वादीनी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीनी का वाद निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. ग्राम डिडियाकलां तहसील जायल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 169 2.4443 हैक्टेयर वादीनी बाउदेवी के हक हिस्से एवं खातेदारी में घोषित किया जाता है।
2. ग्राम डिडियाकलां तहसील जायल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 484/897 रकबा 1.1331 हैक्टयेर , खसरा नम्बर 485 रकबा 0.5342 हैक्टयेर, खसरा नम्बर 486/898 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.8417 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, एवं खसरा नं. 489 रकबा 0.6313 हैक्टयेर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक हिस्से एवं खातेदारी में घोषित किया जाता है।

06/7/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर
उप. खं. अ.) जायल (नागौर

सहायक कलक्टर

तीज – मुबलिग – बाबत –
खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

06/7/2020

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
उप. खं. अ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner